sential commodities as Coal, Cement, Salt, fertilizers, food-grains, Iron and Steel, Machinery etc. So far as Western Railway is concerned a quota of 2 wagons per day has been allotted for movement of Salt and Cement.

In respect of commodities for which no specific quotas have been fixed as and when feasible *ad hoc* assistance is given for clearance of out-standing traffic. Even-though the capacity on the Narrow Gauge Section is limited there is normally no difficulty in the movement of traffic from Stations on Western Railway, upto Pathankot from where the goods could be moved by road to destinations on the NG near about Pathankot.

(c) and (d). A certain percentage of the Rolling Stock in use on Kangra Valley Section is overaged but it is fit for use.

Provision is being made in the Rolling Stock Programmes for the replacement of overage stock as necessary and also for the allotment of additional stock.

Rolling Stock is withdrawn from service not on consideration of age alone but on condition basis.

West Bengal Food and Supply Department Employees in Railways

1767. Dr. Ranen Sen: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many ex-employees of the Food and Supply Department of the West Bengal Government are employed in the Railways;

(b) if so, whether it is a fact that the salary drawn by them at present is less than the pay they were drawing while working under West Bengal Government; and

(c) if so, the reason therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaz Khan): (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

बिहार में कोयले के सभंरण में कमी

१७६८. श्री क० ना० तिवारी : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार मे ईंटें पकाने तथा उद्योग-धंधों के लिये कम कोलया दिया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार ब्रॉडगेज रेलवे लाइन को समस्तीपुर से बगहा तक कब तक बढ़ायेगी; और

(ग) क्या बगहा से भैंसालोटन तक रेलवे ले जाने की योजना के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : उपभोक्ताओं को जो कोयला दिया जाता है, उसका नियन्त्रण **कोयला** नियन्त्रक द्वारा किया जाता है । कोयला नियन्त्रक के यहां से कोयला ढोने का जो मासिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, रेलें उसी के अनुसार कोयला ढोने की व्यवस्था करती हैं । १९६१ में कुल मिला कर बिहार को अधिक कोयला दिया गया, अर्थात् १९६० में २,३२,३७९ माल-डिब्बों की तुलना में १९६१ में २,६३,००१ माल-डिब्बे दिये गये ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में नयी लाइनें बनाने के लिये रेलवे ने जो कार्यक्रम बनाया है उसमें यह प्रस्ताव शामिल नहीं है ।

(ग) बगहा से भैंसालोटन तक मीटर लाइन बनाने और उसे सिसवा बाजार तक बढ़ाने के सम्बन्ध में यातायात और अभिदर्शन इंजीनियरिंग सर्वेक्षण की मंजूरी ११-४-१९६२ को दी गया थी । इन सर्वेक्षणों का खर्च बिहार सरकार देगी । सर्वेक्षण रिपोर्टें जब मिल जायेंगी और रेलवे बोर्ड जब उनकी जांच कर लेगा, उसके बाद ही रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जा सकता है ।